# सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

## धारा–4(1)

## बिन्दु क्रमांक 23

# सेवा प्रदाय एक्ट

# मध्यप्रदेश ट्रैक्टर द्वारा खेती (प्रभारों की वसूली) अधिनियम1972

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक २ फरवरी १९७३
में प्रकाशित

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ६ सन् १९७३

मध्यप्रदेश ट्रैक्टर व्दारा खेती (प्रभारों की वसूली ) अधिनियम,१९७२

(दिनांक २७ जनवरी १९७३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक २ फरवरी १९७३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई । )

राज्य सरकार व्दारा कतिपय भूमियों पर ट्रैक्टरों के साधन से खेती की जाने तथा उसके संबंध मे प्रभारों की वसूली के लिये उपबन्ध करने के हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल व्दारा इसे निम्नलिखित रूप मे अधनियमित किया जाय :-

१) (१) यह अधिनियम मध्यप्रदेश ट्रैक्टर व्दारा खेती (प्रभारों की

संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ

२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है ।

३) यह ऐसी तारीख को, जिसे कि राज्य सरकार अधिसूचना व्दारा नियत करे, प्रवृत्त होगा ।

२) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न परिभाषाएं हों,

(क) " खेतिहर" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से अपनी भूमि पर खेती करता हो ,

(ख) " संचालक" से अभिप्रेत है कृषि संचालक, मध्यप्रदेश या कोई अन्य आफिसर जो उस हैसियत मे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सरकार व्दारा नियुक्त किया गया हो ,

(ग) " व्यक्तिगत रूप से खेती करना" से अभिप्रेत है अपने स्वयं के लिये -

(एक) अपने स्वयं के श्रम व्दारा, या

(दो) अपने कुटुम्ब के श्रम व्दारा, या

(तीन) नकद या वस्तु के रूप में देय मजदूरी पर नौकरों व्दारा,

~~(चार) अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण~~
पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के श्रमिक व्दारा

खेती करना,

(घ) "ट्रेक्टर" से अभिप्रेत है कोई ऐसा ट्रेक्टर जो राज्य सरकार के स्वामित्व का हो, या जो उसके (राज्य सरकार के) नियंत्रण, निदेश या पर्यवेक्षण के अधीन संचालित किया जाता हो,

(ड) "ट्रेक्टर व्दारा खेती" के अन्तर्गत आती है कृषि संबंधी कोई भी ऐसी संक्रियाएं जो ट्रेक्टरों व्दारा की जा सकें, जैसे हल चलाना, कांस उन्मूलन, पटेला फेरना, समतल करना (डिस्किंग) बीज बोना या फसल काटना,

(छ) "ट्रेक्टर व्दारा की गई खेती संबंधी प्रभार" से अभिप्रेत है ट्रेक्टर व्दारा की गई खेती के मद्दे वसूली योग्य प्रभार।

ट्रेक्टर व्दारा खेती करने के लिये आवेदन पत्र

(३) (१) कोई भी खेतिहर अपनी सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग ट्रेक्टर ~~व्दारा खेती कार्यान्वित करने के लिये संचालक को आवेदन कर~~ सकेगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन किया गया आवेदन ऐसे प्रारूप में होगा तथा उसमें ऐसी विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी जैसा कि विहित किया जाये।

आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रक्रिया

(४) (१) संचालक व्दारा ३ के अधीन प्राप्त किये गये आवेदन पत्र को प्रतिगृहित या अगृहीत कर सकेगा और जहाँ वह आवेदन पत्र प्रतिगृहित करे वहाँ खेतिहर से यह अपेक्षा करेगा कि वह विहित प्रारूप में एक बंधपत्र ऐसे प्रतिगृहण की जो प्रज्ञापना प्राप्त हो जाने के तीन दिन के भीतर निष्पादित करे।

(२) उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर खेतीहर व्दारा बन्धपत्र निष्पादित न किया जाने पर आवेदन पत्र अगृहीत हो जायेगा।

ट्रेक्टर व्दारा की गई खेती संबंधी प्रभारों की वसूली।

(५) (१) खेतीहर व्दारा धारा ४ के अधीन बन्ध पत्र के निष्पादित कर दिये जाने पर संचालक खेतिहर की भूमि पर ट्रेक्टर व्दारा खेती करवायेगा।

(२) ट्रेक्टर व्दारा की गई खेती का कार्य पूर्ण हो जाने पर संचालक-

(क) विहित रीति में, सूचना व्दारा, खेतिहर को ट्रेक्टर व्दारा की गई खेती संबंधी प्रभारों की इत्तिला देगा और उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह कलेक्टर को या ऐसे अन्य आफिसर को, जिसे कि कलेक्टर इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे। ऐसी रीति में, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट हो, प्रदाय करे,

(ख) सूचना की एक प्रति [illegible] कलेक्टर को, ट्रेक्टर व्दारा की गई

खेती संबंधी प्रभारों की वसूली के प्रयोजनार्थ अग्रेषित करेगा ।

(३) ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती संबंधी प्रभार देय से अनधिक इतनी वार्षिक किस्तों में देय होंगे जितनी कि सूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, इन किस्तों में से प्रथम किस्त उस राजस्व-वर्ष के, जिसमें कि ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती का कार्य पूर्ण किया गया हो, ठीक पश्चात आने वाले अक्टूबर के प्रथम दिवस को देय होगी और उस पर पूर्वोक्त तारीख से ऐसी दर से, जैसी कि राज्य सरकार, समय-समय पर अधिसूचना व्दारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करें, ब्याज लगेगा ।

(४) यदि ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती संबंधी प्रभारों की कोई किस्त, उस पर के ब्याज सहित नियत तारीख तक संदत्त न की जाये, तो वह खेतिहर से भू-राजस्व के बकाया की भाँति कलेक्टर व्दारा वसूली योग्य होगी ।

संचालक इस अधिनियम के अधीन अपनी समस्त शक्तियाँ तथा कृत्य शक्ति का या उनमें से कोई भी शक्ति तथा कृत्य कृषि विभाग के किसी भी ऐसे आफिसर को, प्रत्यायोजन, जो सहायक कृषि यंत्री।सहायक संचालक, कृषि के पद से निम्न पद का न हो प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(१) राज्य सरकार, अधिसूचना व्दारा, इस अधिनियम के उपबन्ध उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिये नियमबना सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों के लिये या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबन्ध हो सकेंगे,

अर्थात् :-

(क) वह प्रारूप जिसमें धारा ३ के अधीन आवेदन किया जायेगा तथा वे विशिष्टियाँ जो ऐसे आवेदन पत्र में अन्तर्विष्ट होंगी :-

(ख) वह प्रारूप जिसमें धारा ४ के अधीन बन्ध पत्र खेतिहर व्दारा निष्पादित किया जायगा तथा वे विशिष्टियाँ जो ऐसे बन्ध पत्र में अन्तर्विष्ट होंगी :

(ग) (एक) ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती संबंधी प्रभारों का धारा ५ के अधीन मापमान :

(घ) कोई भी अन्य विषय जो कि विहित किया जाना हो या विहित किया जाय ।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे ।

मध्यप्रदेश ट्रैक्टर खेती (परिशुल्क प्राप्ति) विधान, सम्वत् २०००७ निरसन विधान क्रमांक ८३ सन् १९५०) एतद् व्दारा निरस्त किया जाता है ।

=०=

x/ (दो) वह प्रारूप तथा रीती जिसमें कि धारा 5 के अधीन सूचना दी जायेगी:

मध्यप्रदेश शासन
कृषि विभाग

भोपाल, दिनांक - - - -- - -----

: अधिसूचना :

क्रमांक बी-७।११।७३।१४-३ मध्यप्रदेश ट्रैक्टर व्दारा,खेती (प्रभारों की वसूली ) अधिनियम,१९७२(क्रमांक ६ सन् १९७३) की धारा ७ व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए,राज्य सरकार,एतद् व्दारा,निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात :-

। नियम ।

१- संक्षिप्त नाम :- इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश ट्रैक्टर व्दारा (प्रभारों की वसूली) नियम,१९८१ है ।

परिभाषाएँ :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो (क) " प्रारूप " से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्रारूप,और(ख) " धारा " से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश ट्रैक्टर व्दारा खेती(प्रभारों की वसूली ) अधिनियम १९७२) क्रमांक ६ सन् १९७३) की धारा ।

३- ट्रैक्टर व्दारा खेती करने के लिये आवेदन पत्र -

ट्रैक्टर व्दारा खेती करने के लिये धारा ३ की उपधारा(१) के अधीन आवेदन पत्र प्रारूप एक में दिया जायगा और उसके साथ संबंधित पटवारी से प्राप्त इस आशय का एक प्रमाण पत्र संलग्न रहेगा कि आवेदक प्रश्नगत भूमि का एक भूमिस्वामी भूधारी(टेंन्युअर होल्डर) है ।

४- आवेदन पत्र के प्रतिग्रहण की प्रज्ञापना:-
ट्रैक्टर व्दारा खेती करने के लिये धारा ३ की उपधारा(१) के अधीन किये गये आवेदन पत्र के प्रतिग्रहण की प्रज्ञापना संबंधित खेतिहर को प्रारूप-दो में दी जायगी ।

५- बन्धनपत्र:- धारा ४ की उपधारा(१) के अधीन निष्पादित किया जाने वाला बन्धन पत्र प्रारूप तीन में होगा ।

६- पूर्ण होने का प्रमाण पत्र:- ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती का कार्य पूर्ण होने पर खेतिहर प्रारूप-चार में यह प्रमाणित करेगा कि ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती उसके समाधानयोग्य पूर्ण कर दी गई है या यह कि उसके समाधान योग्य पूर्ण नहीं की गई है जिसके लिये कि उस प्रारूप में कारण कथित किये जायेंगे ।

७- ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती संबंधी प्रभारों का मापमान:- ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती संबंधी प्रभारों का मापमान निम्नलिखित होगा :-

(क) डोजिंग या सम्बद्ध कार्य,जो विभिन्न अश्वशक्ति के उन ट्रैक्टरों व्दारा जो कि बुलडोजिंग अटेचमेन्ट से युक्त हो, किया जाना हो :-

(१) ८० अश्वशक्ति या उससे अधिक अश्वशक्ति के ट्रैक्टर १०० रुपये प्रतिघंटा

(२) ६० अश्वशक्ति तथा ७९ अश्वशक्ति के बीच के ट्रैक्टर ८५ रुपये प्रति घंटा

(३) ४० अश्वशक्ति तथा ५९ अश्वशक्ति के बीच के ट्रैक्टर ५० रुपये प्रति घंटा

(४) ४० अश्वशक्ति से कम के ट्रैक्टर ४० रुपये प्रतिघंटा

(ख) जुताई-कार्य जो प्लाउइंग अटैचमेंट से युक्त ट्रैक्टरों द्वारा किया जाना हो :-

(१) खेती की गई भूमि के लिए रुपये प्रति हैक्टर

(२) पड़त भूमि के लिए रुपये प्रति हैक्टर

(ग) हलका खेती कार्य :-

(१) अनुवर्ती(फालोअप)खेती रुपये प्रति हैक्टर

(२) बखरना(हरोइंग) रुपये प्रति हैक्टर

(घ) परिवहन कार्य जो विभिन्न अश्वशक्ति के ट्रैक्टरों द्वारा किया जाना हो :-

(१) २० अश्वशक्ति से २५ अश्वशक्ति २५ रुपये प्रतिघंटा

(२) ३५ अश्वशक्ति से अधिक के ट्रैक्टर ३० रुपये प्रति घंटा

(५०) डोजिंग या सम्बद्ध कार्य,जो विभिन्न अश्वशक्ति के उन ट्रैक्टरों द्वारा जो कि पुडलिंग मशीनों द्वारा युक्त हों,कृषि भिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाना हो :-

(१) ८० अश्वशक्ति या उससे अधिक अश्वशक्ति के ट्रैक्टर १२० रुपये प्रति घंटा

(२) ६० अश्वशक्ति तथा ७९ अश्वशक्ति के बीच के ट्रैक्टर १०५ रुपये प्रतिघंटा

(३) ४० अश्वशक्ति तथा ५९ अश्वशक्ति के बीच के ट्रैक्टर ६४ रुपये प्रतिघंटा

(४) ४० अश्वशक्ति से कम के ट्रैक्टर ५२ रुपये प्रतिघंटा

८- ट्रैक्टर द्वारा की गई खेती संबंधी प्रभारों के संदाय के लिये सूचना :-

ट्रैक्टर द्वारा की गई खेती संबंधी प्रभारों के संदाय की सूचना प्रारूप (पांच) में होगी ।

प्रारूप-एक

(नियम ३ देखिये )

ट्रैक्टर व्दारा खेती कार्यान्वित करने के लिए मध्यप्रदेश ट्रैक्टर व्दारा खेती (प्रभारों की वसूली ) अधिनियम, १९७५ की धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन के आवेदन पत्र :-

१- खेतीहर का नाम तथा उसके पिता का नाम

२- निवास स्थान

३- तहसील

४- जिला

५- उस भूमि की विशिष्टियाँ जिस पर ट्रैक्टर व्दारा खेती कार्यान्वित की जाना है :-

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) पटवारी हल्का क्रमांक

(घ) ग्राम

(ङ०) खसरा क्रमांक

(च) ट्रैक्टर व्दारा की जाने वाली खेती के कार्य की मद मदे जो कि कार्यान्वित की जानी हो।हैं:-

| मद | क्षेत्रफल हैक्टरों में खेती की गई भूमि का | पड़त भूमि का |
| --- | --- | --- |
| १- | | |
| २- | | |
| ३- | | |
| ४- | | |
| ५- | | |

६- यदि यह आवेदन पत्र संचालक व्दारा प्रतिग्रहित कर लिया जाता है तो आवेदक एतद् व्दारा, यह जिम्मा लेता है कि यह ट्रैक्टर व्दारा खेती आरंभ की जाने के पूर्व अपने खर्च पर पत्थरों, बड़ों, झाड़ियों, वृक्षों, तथा पौधों का जिनका कि व्यास १ इंच या उससे अधिक हो, से रहित साफ भूमि देगा तथा खाईयों एवं नाले भरवा देगा और जड़ से निकलने वाले अंकुरी (Tillers) को कुचलवा देगा यदि इनमें से कोई भी उक्त भूमि में है ।

संलग्न:- पटवारी का प्रमाण पत्र

खेतिहर के हस्ताक्षर

(नियम(४) देखिये)

धारा ३ की उपधारा(१) के अधीन किये गये आवेदन पत्र के प्रतिग्रहण का प्रारूप - - - --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

कार्यालय - - - - - - - - - - ----
ज्ञापन - - - - - - - - - - --
-----

क्रमांक - - - - - - - - - - - - - - - - - - तारीख - - - - ------ - ---

प्रति,
श्री - - - - - - - - - - - - - - - ---
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - ----- - - - - - - --

विषय:- ट्रैक्टर व्दारा खेती - - - - - - - - ---

सन्दर्भ:- आपका आवेदन पत्र तारीख - - - - - - - - - - - ----
संदर्भाधीन आपका आवेदन पत्र जो - - - - - - - - - हैक्टर
भूमि(खेती की भूमि - - - - - - - - - - - - - हैक्टर तथा
पड़त भूमि - - - - - - - - - - - - - - - हैक्टर(खसरा)
क्रमांक - - - - - - - - - - - -- ग्राम - - - - - - ---
पटवारी हल्का क्रमांक - - - - - - - - - - तहसील - - - - - - - -
जिला - - - - - - - - -(पर ट्रैक्टर व्दारा खेती कार्यान्वित करने के संबंध में है, प्रतिग्रहित किया गया है तथा आपसे, एतद्व्दारा यह अपेक्षा की जाती है कि आप संलग्न प्रारूप में एक बंधपत्र इस ज्ञापन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर निष्पादित करें। उपर विनिदिष्ट की गई कालावधि के भीतर बंधपत्र निष्पादित न किया जाने पर, संदर्भाधीन आवेदन पत्र खारित हो जायेगा।

संचालक, कृषि, मध्यप्रदेश
या
अधिकारी जो धारा २(ख) के
अधीन नियुक्त किया गया हो,

प्रारूप(तीन)

(नियम ५ देखिये)

मैं, ---------------------निवासी ग्राम --------पटवारी हल्का क्रमांक -----------तहसील ------------ जिला -------------------------- हेक्टर भूमि(खेती की गई भूमि ---------------------- हेक्टर तथा पड़त भूमि -------------हेक्टर( ) खसरा क्रमांक --------------------ग्राम -------- पटवारी हल्का क्रमांक ------------ तहसील -------- जिला -----------) पर ट्रैक्टर व्दारा खेती करने के लिये मध्यप्रदेश ट्रैक्टर व्दारा खेती(प्रभारों की वसूली ) अधिनियम,१९७२(क्रमांक ९ सन् १९७३)( ) जो इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ की उपधारा(१) के अधीन आवेदन कर चुका हूं और वह आवेदन पत्र उक्त अधिनियम की धारा ४ की उपधारा(१) के अधीन प्रतिगृहित कर लिया गया है अत: मैं एतद्व्दारा

(१) यह जिम्मा लेता हूं कि मैं :-

(क) (एक) उक्त भूमि में से समस्त उन डण्ठलों, जड़ों। झाड़ियों, वृक्षों, पौधों को, जिनका कि व्यास । इंच से अधिक हो, जड़ से उखड़वा दूंगा,

(दो) उक्त भूमि में से अधिक बड़े पत्थरों को हटवादूंगा,

(तीन) उक्त भूमि में की खाईयों तथा नालों को भरवा दूंगा,

(चार) उक्त निकलने वाले अंकुरों(टिलरों) को, जो कि उक्त भूमि में हों कुचलवा दूंगा,

जिससे कि वह भूमि ट्रैक्टर व्दारा की जाने वाली खेती के लिए उपयुक्त बन जाय,

(ख) ट्रैक्टर व्दारा खेती कार्यान्वित करने के दौरान भूमि पर स्वयं उपस्थित रहूंगा या अपने परिवार के किसी वयस्क सदस्य या अपने सेवक या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जिसे उस भूमि की पूरी जानकारी हो जिस पर कि ट्रैक्टर व्दारा खेती इस संबंध में किये गये मेरे आवेदन के अनुसार कार्यान्वित की जाना है, प्रतिनियुक्ति करूंगा, जिससे कि यह निदेश दिया जा सके कि

उसी भूमि पर ट्रैक्टर व्दारा खेती कार्यान्वित की जाय पर कि ट्रैक्टर व्दारा खेती करने के लिए आवेदन किया गया था,

(ग) किसी ऐसे पत्थर, जड़, भाड़ी, वृक्ष, पौधे, जिसका कि व्यास 1 इंच से अधिक हो, किसी अधिक बड़े पत्थर, खाईयों या नालों या जड़ से निकलने वाले अंकुरों (टिलर्स) के विद्यमान होने के कारण ट्रैक्टर को हुए नुकसान के लिये क्षतिपूर्ति करूंगा ;

(घ) ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती संबंधी जो प्रभार उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार होंगें उसका भुगतान करूंगा ;

(ड०) मेरे व्दारा, मेरे परिवार के किसी सदस्य व्दारा, मेरे सेवक व्दारा या किसी ऐसे व्यक्ति व्दारा, जो कि इस प्रयोजन के लिए मेरे व्दारा। प्रतिनियुक्त किया गया हो, उचित निर्देश न दिये जाने के कारण उस भूमि से, जिस पर कि ट्रैक्टर व्दारा खेती करने के लिए आवेदन किया गया था, भिन्न भूमि पर ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती के लिए उन प्रभारों का, जो कि ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती के लिए उन प्रभारों का, जो कि ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती के संबंध में देय होते हैं, एकमुश्त भुगतान उस दर से करूंगा जो कि मध्यप्रदेश ट्रैक्टर व्दारा खेती (प्रभारों की वसूली) नियम, १९७६ के नियम ७ में विनिर्दिष्ट की गई है,

२- यह करार करता हूं:-

(क) कि मैं उस दशा में जब कि उस संपूर्ण भूमि पर, जिस पर कि ट्रैक्टर व्दारा खेती करने के लिये आवेदन किया गया था, ट्रैक्टर व्दारा खेती तकनीकी कारणों से कार्यान्वित न की जा सकी हो उन प्रभारों का जो कि ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती के संबंध में उक्त अधिनियम, के उपबंधों के अनुसार देय होते हैं, भुगतान करूंगा और यह कि मैं न किये गये कार्य के संबंध में नुकसानी या किसी प्रतिकार के लिए दावा नहीं करूंगा और

(ख) कि मैं ट्रैक्टर व्दारा की जाने वाली खेती का कार्य पूर्ण हो जाने पर यह प्रमाणित करूंगा कि वह पूर्ण हो गया है।

३- यह घोषणा करता हूं कि यह वचबंध मेरे वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों तथा विधिक प्रतिनिधियों को लागू होगा। जिसके कि साक्ष्य में मैंने, जो कि उक्त - - - - - - - - - हूं, इसके नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

तारीख - - - - ---- - - नाम - - ---------- - सन् - - - - -----

हस्ताक्षर - - - - - -- ----

साक्षी - - - - - - - - - - ---

साक्षी - - - - - - ---- - --

## प्रारूप-चार

( नियम ६ देखिए )

प्रमाण पत्र

मैं, ----------- निवासी ग्राम ------- पटवारी हल्का क्रमांक ------------ तहसील ---------- जिला ------ एतद्द्वारा, यह प्रमाणित करता हूँ कि उस भूमि पर, जिसकी कि विशिष्टियाँ नीचे दी गई है, ट्रैक्टर द्वारा खेती इस प्रयोजन के लिये किये गये मेरे आवेदन, तारीख -------- के अनुसार मेरे पूर्ण समाधान योग्य कार्यान्वित की गई है ।

मैं, ----------- निवासी ग्राम -------- पटवारी हल्का क्रमांक ----------- तहसील --------- जिला ----------- अपने आवेदन पत्र तारीख -------- के संदर्भ में, एतद् द्वारा, यह बतलाता हूँ कि उस भूमि पर, जिसकी कि विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं, ट्रैक्टर द्वारा खेती का समाधानप्रद रूप से कार्यान्वित नहीं की गई है क्यों कि ट्रैक्टर द्वारा खेती का जो कार्य कार्यान्वित किया गया है क्यों कि ट्रैक्टर द्वारा खेती का जो कार्य कार्यान्वित किया गया है उसमें निम्नलिखित कमियाँ हैं, अर्थात :-

१- -----------

२- -----------

३- -----------

### भूमि की विशिष्टियाँ

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) पटवारी हल्का क्रमांक

(घ) ग्राम

(ड) खसरा क्रमांक

(च) क्षेत्रफल

(एक) खेती की भूमि

(दो) पड़त भूमि

हस्ताक्षर

प्रारूप पांच
(नियम ८ देखिये)

कार्यालय ------------------------------------------

मध्यप्रदेश ट्रैक्टर व्दारा खेती (प्रभारों की वसूली)
अधिनियम, १९७२ की धारा ५(२) (क) के अधीन सूचना

क्रमांक ---------------- तारीख ------------------

प्रति,

श्री ----------------

----------------

----------------

चूंकि, मध्यप्रदेश ट्रैक्टर व्दारा खेती (प्रभारों की वसूली) अधिनियम, १९७२ की धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन किये गये आपके आवेदन, तारीख ---------- के अनुसार में, ट्रैक्टर व्दारा खेती नीचे वर्णित की गई भूमि में कार्यान्वित की गई है :-

(क) जिला ----------------

(ख) तहसील ----------------

(ग) पटवारी हल्का क्रमांक ----------------

(घ) ग्राम ----------------

(ड) खसरा क्रमांक ----------------

(च) क्षेत्रफल ----------------

(एक) खेती की भूमि

(दो) पड़त भूमि

और चूंकि आप ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती संबंधी निम्नलिखित प्रभारों का, जो कि मध्यप्रदेश ट्रैक्टर व्दारा खेती (प्रभारों की वसूली नियम, (६८) के नियम (७) में अधिकथित किये गये प्रभारों के मापमान के आधार पर निर्धारित किये गये हों, तथा ब्याज की उस रकम का, जो कि मध्यप्रदेश सरकार व्दारा विनिर्दिष्ट की गई दर से संगणित की गई हो, भुगतान करने के दायित्वाधीन है, अर्थात :-

रुपये ---------- पैसे ----------

खेती संबंधी प्रभार ----------------

ब्याज ----------------

योग ----------------

अतएव, आप से यह अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त खेती संबंधी प्रभारों

का कार्य तथा ब्याज की रकम का ------------- वार्षिक किश्तों उक्त तारीखों पर या उन तारीखों के पूर्व जो कि नीचे विनिर्दिष्ट की गई है, सरकारी खजाना ------------ में भुगतान कर रकम राजस्व शीर्ष ------------ में जमा करके, करें तथा कलेक्टर ------------ या ऐसे अन्य अधिकारी के समक्ष जिसे कि उक्त कलेक्टर इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे कि खजाने का रसीदी चालान उस भुगतान के सबूत में पेश करें।

## किश्तों के भुगतान की नियत तारीखें

पहली किश्त ------------------। अक्टूबर ------------
दूसरी किश्त ------------------। अक्टूबर ------------
तीसरी किश्त ------------------। अक्टूबर ------------
चौथी किश्त ------------------। अक्टूबर ------------
पाँचवी किश्त ------------------। अक्टूबर ------------
छटवीं किश्त ------------------। अक्टूबर ------------
सातवीं किश्त ------------------। अक्टूबर ------------
आठवीं किश्त ------------------। अक्टूबर ------------
नवीं किश्त ------------------। अक्टूबर ------------
दसवीं किश्त ------------------। अक्टूबर ------------

संचालक कृषि, मध्यप्रदेश
या
अधिकारी जो धारा २(ज) के
अधीन नियुक्त किया गया हो।

क्रमांक ------------ तारीख ------------

प्रतिलिपि:- मांग सूची की प्रतिलिपि सहित कलेक्टर ------------ को मध्यप्रदेश ट्रैक्टर द्वारा खेती (प्रभारों की वसूली) अधिनियम १९७२ की धारा ५ के अधीन आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित है। रकम बजट शीर्ष ------------ में जमा की जा चुकी तथा चालान की एक-एक प्रतिलिपि सहायक कृषि यंत्री ------------ को भेजी जाय।

संचालक कृषि, मध्यप्रदेश
या
अधिकारी जो धारा २ (ज)
के अधीन नियुक्त किया गया हो।

## ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती जुताई प्रभारों के लिए मांग सूची

१- खेतिहर का नाम ---------------------

२- ग्राम ---------------------

३- पटवारी हल्का क्रमांक ---------------------

४- तहसील ---------------------

५- जिला ---------------------

६- बिल की विशिष्टियाँ ---------------------

क्रमांक ------------ तारीख ------ रकम ------

संचालक कृषि, मध्यप्रदेश
या
अधिकारी जो धारा २(ख) के
अधीन नियुक्त किया गया हो ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार

सही०/-
(डी०एन०सिंह)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग

क्र-७३/२७/३/२३-१४/७६ भोपाल, दिनांक ८-६-८१

प्रतिलिपि:-

१- नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय भोपाल को इस अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में तत्काल प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।

२- संचालक कृषि म०प्र० भोपाल को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अग्रेषित ।

सही०/-
(डी०एन०सिंह)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग

10

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

आदेश

भोपाल 23 मार्च 2010

क्रमांक/ डी–7/10/08/14–3 —राज्य शासन, एतद् द्वारा, किसानों को कृषि कार्य हेतु उन्नत कृषि यंत्र किराये पर उपलब्ध कराने के लिये, निम्न मशीनों की किराया दरें, इनकी पूर्व में प्रसारित किराया दरों को अधिक्रमित करते हुए, निम्नानुसार निर्धारित करता है :–

(क) कम्बाईन – हार्वेस्टर (ट्रेक टाईप) – रूपये 1000/– प्रतिघंटा

(ख) रीपर – कम – बाइन्डर – रूपये 650/– प्रतिघंटा

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

23/3/10
(एस.एस. ठाकुर)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमांक/ डी–7/10/08/14–3 भोपाल 23 मार्च 2010

प्रतिलिपि:–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल को सूचनार्थ।
5. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास/कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल
6. कलेक्टर जिला..............................(समस्त)
7. संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग ———(समस्त)
8. कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री संभाग..............................(समस्त)
9. उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला ———(समस्त)

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

23/3/10
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 120]    भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2020—फाल्गुन 30, शक 1941

### किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
### मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2020

क्र. डी-7-02-2012-चौदह-2.—मध्यप्रदेश ट्रैक्टर द्वारा खेती (प्रभारों की वसूली) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 9 सन् 1973) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश ट्रैक्टर द्वारा खेती (प्रभारों की वसूली) नियम, 1981 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में नियम के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"7" ट्रैक्टर द्वारा की गई खेती संबंधी प्रभारों का मापमान—ट्रैक्टर द्वारा की गई खेती संबंधी का मापमान निम्नानुसार होगा:—

**( क ) समस्त कृषि कार्य, जो विभिन्न अश्वशक्ति के व्हील टाईप. ट्रैक्टरों द्वारा किया जाना हो ( इनमें परिवहन सम्मिलित नहीं है ):—**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 40 अश्वशक्ति तक के व्हील टाईप ट्रैक्टर | रु. 510/- प्रतिघंटे |
| 2 | 41 अश्वशक्ति या उससे अधिक अश्वशक्ति के ट्रैक्टर | रु. 625/- प्रतिघंटे |

**( ख ) परिवहन कार्य:—**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 40 अश्वशक्ति तक के व्हील टाईप ट्रैक्टर | रु. 14/- प्रति किलो[illegible] |
| 2 | 41 अश्वशक्ति या उससे अधिक अश्वशक्ति के ट्रैक्टर | रु. 18/- प्रति [illegible] |

2. यह संशोधन 1 अप्रैल 2020 से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से [illegible]
अजीत [illegible]

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2020

क्र. डी-7-02-2012-चौदह-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 20 मार्च 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 20th March 2020

No. D-7-02-2012-XIV-2.—In exercise of the power conferred by Section 7 of the Madhya Pradesh Tractor Dwara Kheti (Prabharo ki Vasuli) Adhiniyam, 1972 (No. 9 of 1973), the State Government hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Tractor Dwara Kheti (Prabharo ki Vasuli) Adhiniyam, 1981, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:—

"7" Scale of Tractor cultivation charges. The scale of tractor cultivation charges shall be as follows:

**(a) All the agricultural works which are to be performed using tractor of different horsepower. (It does not include transporation)**

1. Tractors up to 40 horsepower — Rs. 510/- per hour
2. Tractors of 41 horsepower or above — Rs. 625/- per hour

**(b) Transportation Works**

1. Wheel Type Tractors up to 40 horsepower — Rs. 14/- per hour
2. Wheel Type Tractors of 41 horsepower or above — Rs. 18/- per hour

2. This amendment shall come in to force with effect from 1st April 2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJIT KESARI, Principal Secy.